न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 42 / 2024
वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जोरासिंह
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र जोरासिंह
3. निन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्र सिंह
4. भूपेन्द्रसिंह पुत्र जोरासिंह
5. मनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह
6. मनप्रीत कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासीगण
बुगलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. धारिका देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सरोज देवी पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक शाखा मैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री हरविन्द्र गर्ग –वकील वादीगण
2. श्री वन्दुश विश्नोई–वकील प्रति.सं. 1 व 2
3. श्री बृजलाल चौहान–वकील प्रति.सं. 3

निर्णय दिनांक :– 17.10.2024

वादीगण कुलविन्द्र सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन के तहत दिनांक 14.02.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता [illegible] संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद प[illegible] प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता की कृषि [illegible] 2073–76 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से रथाई के खाता सं. 101 / 71 [illegible] कुलविन्द्र सिंह आदि मे कुल दर्ज 565451 है. बारानी 1 मय गै.मु. में से वादी सं. 1 के नाम से 539 / 5540 हिस्सा तथा वादी सं. 2 के नाम से 539 / 5540 हिस्सासा तथा वादी सं. 3 के नाम से 987 / 5540 हिस्सा तथा वादी सं. 4 के नाम से 539 / 5540 हिस्सा तथा वादी सं. 5 के नाम 987 / 5540 हिस्सा तथा वादी सं. 6 के नाम 987 / 5540 हिस्सा बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। समस्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं

चक न. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71

प.न.	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17,18,22, 23,24, 25/1, 25/2
99/175	46	5/2, 6,15,16,25
99/177	64	18/1,19,20/1,21,22,23/1
100/175	45	1/2, 1/3, 10,11,20

इस प्रकार कुल 5.451 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में अच्छी मन्दी के अनुसार कब्जा काश्त की सुविधा खाला रास्ता के अनुसार अर्सा पूर्व घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घराघरू बंटवारा को निम्न प्रकार से कृषि भूमि हिस्सा में आयी है। वादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह का 0.535 है. हिस्सा, वादी सं. 2 जसविन्द्र सिंह का 0.535 है.हिस्सा, वादी सं. 3 निन्द्रकौर का 0.987 है. हिस्सा, वादी सं. 4 भूपेन्द्रसिंह का 0.535 है. हिस्सा, वादी सं. 5 मनदीप कौर का 0.987 है. हिस्सा, वादी सं. 6 मनप्रीत कौर का 0.987 है. हिस्सा। इस प्रकार वादीगण की कुल कृषि भूमि निम्न प्रकार है :–

चक नं. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71 जं.सं. 2073–76

प.न.	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14/0.253,15/1/0.215,15/2/0.038, 16/1/.215, 16/2/0.038, 17/0.253,18/0.253,22/0.253, 23/0.253,24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038
99/175	46	5/2/.088, 6/0.253,15/0.253,16/0.253,25/0.253
99/177	64	18/1/0.139, 19/0.253, 20/1/0.101,21/0.253, 22/0.253, 23/1/0.190
		कुल 4.566 है. बारानी मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारिका देवी व प्रतिवादी सं. 2 सरोज देवी की 0.885 है. मय गै.मु. ब.हि.ब. की कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

प.न.	मु.नं.	कि.नं.
100/175	45	1/2/0.114, 1/3/0.0120, 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253

कुल 0.885 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार मुताबिक घरा–घरू बंटवारानामा अनुसार काबिज होकर का[illegible] चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है किन्तु कृषि भूमि [illegible] वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी [illegible] है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार [illegible] करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है तथा वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. [illegible] के अनुसार अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवा देंवे। कई बार अनुनय विनय करने पर पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन बाद में प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 व 2

सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested

क नं. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71

.नं	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17,18,22, 23,24, 25/1, 25/2
99/175	46	5/2, 6,15,16,25
99/177	64	18/1,19,20/1,21,22,23/1
100/175	45	1/2, 1/3, 10,11,20

इस प्रकार कुल 5.451 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का आपस में अच्छी मन्दी के अनुसार कब्जा काश्त की सुविधा खाला रास्ता के अनुसार अर्सा पूर्व घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घराघरू बंटवारा को निम्न प्रकार से कृषि भूमि हिस्सा में आयी है। वादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह का 0.535 है. हिस्सा, वादी सं. 2 जसविन्द्र सिंह का 0.535 है.हिस्सा, वादी सं. 3 निन्द्रकौर का 0.987 है. हिस्सा, वादी सं. 4 भूपेन्द्रसिंह का 0.535 है. हिस्सा, वादी सं. 5 मनदीप कौर का 0.987 है. हिस्सा, वादी सं. 6 मनप्रीत कौर का 0.987 है. हिस्सा। इस प्रकार वादीगण की कुल कृषि भूमि निम्न प्रकार है :–

चक नं. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71 जं.सं. 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14/0.253,15/1/0.215,15/2/0.038, 16/1/.215, 16/2/0.038, 17/0.253,18/0.253,22/0.253, 23/0.253,24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038
99/175	46	5/2/.088, 6/0.253,15/0.253,16/0.253,25/0.253
99/177	64	18/1/0.139, 19/0.253, 20/1/0.101,21/0.253, 22/0.253, 23/1/0.190

कुल 4.566 है. बारानी मय गै.मु.।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारिका देवी व प्रतिवादी सं. 2 सरोज देवी की 0.885 है. मय गै.मु. ब.हि.ब. की कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

प.न.	मु.नं.	कि.नं.
100/175	45	1/2/0.114, 1/3/0.0120, 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253

कुल 0.885 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वणित कृषि भूमि वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार मुताबिक घरा–घरू बंटवारानामा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है किन्तु कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है तथा वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवा देंवे। कई बार अनुनय विनय करने पर पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन बाद में प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2

Signature Not Ve
Digitally signed by Ja
Date: 2024.11.04 14:
Reason: SelfAttested

की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय कांउण्टर क्लेम पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बैंक की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश कर बैंक हित को ध्यान में रखने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक 25/1 के खाता सं. 101/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073--2076 EX-1 प्रदर्श हुई। अभिभाषक वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लिया है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है इसलिए प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट की बजाय प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी जावे तो दोनो पक्षो को कोई उज्र ऐतराज नही होगा। साक्ष्य वादी में वादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन मे वादी ओर से जमाबन्दी चक 25/1 के खाता स. 101/71 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज है। प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय कांउण्टर क्लेम पेश हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक आराजी है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर लिया है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है इसलिए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया है। अभिभाषक वादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। न्यायालय के मत में वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

1 वादी संख्या 01 कुलविन्द्र सिह का 0.535 है.हिस्सा, वादी संख्या 2 जसविन्द्र सिह का 0.535 है.हिस्सा, वादी संख्या 3 निन्द्रकौर का 0.987 है.हिस्सा वादी संख्या 4 भूपेन्द्र सिह का 0.535 है. हिस्सा, वादी संख्या 5 मनदीपकौर का 0.987 हिस्सा, वादी संख्या 6 मनप्रीतकौर का 0.987 है.हिस्सा कब्जा काश्त की कृषि भूमि :– चक नं. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71 [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14/0.253,15 [illegible] 1/.215,
		16/2/0.038, 17/0.25 [illegible] 253,22/0.253,
99/175		23/0.253,24/0.253, 25/1/ [illegible] 215, 25/2/0.038
99/177	46	5/2/.088, 6/0.253,15/0.253,16/0.253,25/0.253
	64	18/1/0.139, 19/0.253, 20/1/0.101,21/0.253,
		22/0.253, 23/1/0.190
		कुल 4.566 है. बारानी मय गै.मु.।

2 प्रतिवादी सं. 1 द्वारिका देवी व प्रतिवादी सं. 2 सरोज देवी की 0.885 है. मय गै.मु. ब.हि.ब. की कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

प.न	मु.नं.	कि.नं
100/175	45	1/2/0.114, 1/3/0.0120, 10/0.253,
		11/0.253, 20/0.253

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested

कुल 0.885 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 खाता विभाजन किया जाकर रकबाराज अलग से कायम की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 42/2024

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जोरासिंह
2. जसविन्द्र सिह पुत्र जोरासिंह
3. निन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्र सिंह
4. भूपेन्द्रसिंह पुत्र जोरासिंह
5. मनदीप कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह
6. मनप्रीत कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह

} जाति समस्त जटसिख निवासीगण बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. द्वारिका देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सरोज देवी पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक वर्तमान पंजाब नैशनल बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 17.10.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री बन्टुश बिश्नोई मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीगण में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि:–

1. वादी संख्या 01 कुलविन्द्र सिह का 0.535 है.हिस्सा, वादी संख्या [illegible] सिह का 0.535 है.हिस्सा, वादी संख्या 3 निन्द्रकौर का 0.987 है.हिस्सा, [illegible] संख्या 4 भूपेन्द्र सिह का 0.535 है. हिस्सा, वादी संख्या 5 मनदीपकौर का 0.987 है.हिस्सा, वादी संख्या 6 मनप्रीतकौर का 0.987 है.हिस्सा कब्जा काश्त की कृषि भूमि [illegible] चक नं. 25/1 ए.एम.पी. के खाता सं. 101/71 जं.सं. 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
98/177	65	14/0.253,15/1/0.215,15/2/0.038, 16/1/.215, 16/2/0.038, 17/0.253,18/0.253,22/0.253, 23/0.253,24/0.253, 25/1/0.215, 25/2/0.038
99/175	46	5/2/.088, 6/0.253,15/0.253.16/0.253,25/0.253
99/177	64	18/1/0.139, 19/0.253, 20/1/0.101,21/0.253 22/0.253, 23/1/0.190

कुल 4.566 है. बारानी मय गै.मु.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव

2. प्रतिवादी सं. 1 द्वारिका देवी व प्रतिवादी सं. 2 सरोज देवी की 0.885 है. मय गै.मु. वृक्ष की कब्जा काश्त की कृषि भूमि :–

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
100/175	45	1/2/0.114, 1/3/0.0120, 10/0.253, 11/0.253, 20/0.253 कुल 0.885 है. बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल/100/-खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.10.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 14:45:55 IST
Reason: SelfAttested